रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 190] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 1968/भाद्र 18, 1890

No. 190] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 1968/BHADRA 18, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September 1968

G.S.R. 1686.—In pursuance of sub-section (2) of section 3 of the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968 (24 of 1968), the Central Government hereby appoints the Surveyor General of India as the authority for demarcating the fixed boundary in relation to each of the rivers Ganga and Ghagra in accordance with the provisions of the said sub-section.

[No. F. 38/14/68-SR.]

M. R. YARDI, Addl. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर 1968

जी० एस० आर० 1687— बिहार तथा उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम 1968 (1968 का 24वां) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार गंगा तथा घाघरा नदियों में से प्रत्येक से सम्बन्ध निर्धारित सीमा के सीमांकन के लिए उक्त उप-धारा के उपबन्धों के अनुसार भारत के महासर्वेक्षक को प्राधिकारी के रूप में एतद् द्वारा नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 38/14/68-एस० आर०]

एम० आर० यार्दी, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968